बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 29/आ1927 सं0 सं0–05/उ0 नि0 ब0 (आवंटन) 05/2018 पटना, दिनांक 19.11.18

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र, गया/बक्सर/मधुबनी/नवादा

विषय :– **मुख्य शीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–102–लघु उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0001–प्रदर्शन केन्द्र, विपत्र कोड–23-2851.00.102.0001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय हेतु रू0 3,40,700/– (तीन लाख चालीस हजार सात सौ रूपये) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय हेतु **रू0 3,40,700/– (तीन लाख चालीस हजार सात सौ रूपये)** मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में आय–व्ययंक शीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–102–लघु उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0001–प्रदर्शन केन्द्र, विपत्र कोड–23-2851.00.102.0001 से निम्न सारणी के अनुरूप विकलित होगा :–

क्र0	कार्यालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	मदवार आवंटित राशि (रू0)						
		यात्रा व्यय 0001.11.01	विद्युत प्रभार 0001.13.04	विधि प्रभार 0001.13.05	भाड़े की गाड़ी का भुगतान 0001.13.10	प्रकाशन एवं मुद्रण 0001.16.01	विज्ञापन और प्रकाशन 0001.26.01	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जि0उ0के0, गया	0	0	50000	0	10000	40000	100000
2	जि0उ0के0, बक्सर	48000	0	0	0	0	0	48000
3	जि0उ0के0, मधुबनी	0	15000	0	0	5000	4000	24000
4	जि0उ0के0, नवादा	0	0	0	168700	0	0	168700
5	योग	48000	15000	50000	168700	15000	44000	340700

3 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जायं तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :–

(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) एक इकाई की राशि दूसरी इकाई में व्यय नहीं की जाय।

(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(घ) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0/बिल नं0 एवं मासिक CTMIS प्रतिवेदन के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(च) 2018–19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

16/11

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

कृ0 पृ0 उ0

ज्ञापांक 29/आर्थिक पटना, दिनांक 19.11.18

प्रतिलिपि :– जिला कोषागार पदाधिकारी, गया/बक्सर/मधुबनी/नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 29/आर्थिक पटना, दिनांक 19.11.18

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0–डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा–05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारियों के अधिकृत ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।